

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० -045/2026

अनवान :-

1. अमनदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी पन्नीवाली त० जिला हनुमानगढ़ ।
2. जगदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी पन्नीवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3. सुखजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी पन्नीवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

वादीगण

बनाम्

1. मूर्तिदेवी पत्नी ज्ञानसिंह जटसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
2. सुरेन्द्र पुत्र ज्ञानसिंह जटसिख निवासी पन्नीवाली त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी करनैल सिंह व महावीर सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है -


क. वादीगण सं० 1 ता 3 का प्राप्त आराजी :- चक नं० 27 एनजीसी के खाता सं० 37 प०न० 176/264 मु० 23 किलानं० 12. 253, 16/.248, प०न० 176/264 मु० 23 किलानं० 17/.0025 है०

ख. प्रतिवादी सं० 1 व 2 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :-चक नं० 27 एनजीसी के खाता सं० 52 के प०न० 176/265 मु० 24 किलानं० 3,8, प०न० 176/264 मु० 23 किलानं० 16/.005 है०। एवं चक नं० 27 एनजीसी के प०न० 176/264 मु० 23 किलानं० 20 में 2 बिश्वा चौड़ा रास्ता उतरी दिशा में एक बीघा लम्बा व किला नं० 19 में 2 बिश्वा चौड़ा व 16 1/2 फुट लम्बा कॉर्नर (.0025) गै०मु० रास्तायदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 12/3/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की

गई।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर
R.A.S
टिब्बी जिला हनुमानगढ़